कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

पत्रांक 9372 / पटना, दिनांक 10.11.16
05 नि० / अंके०(पैक्स अंके०)–65 / 2015

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 833 दिनांक 04.02.2016 द्वारा विभाग में सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों को जिला आवंटित करते हुए पैक्सों के दिनांक 31.03.2015 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अधिकृत किया गया था।

बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 (यथासंशोधित–2013) के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत सहकारी समितियों का यह दायित्व है कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के भीतर अपने लेखाओं का अंकेक्षण कराया जाना है परन्तु दिनांक 10.11.2016 को अधिप्राप्ति की Video Confrence में हुई समीक्षा के क्रम में कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ पैक्सों का अभिलेख अद्यतन है लेकिन सनदी लेखाकार / विभागीय अंकेक्षण पदाधिकारी की कमी के कारण उनका अंकेक्षण नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि पैक्स के दिनांक 31.03.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण हेतु एक प्रमण्डल अन्तर्गत जिलों के सनदी लेखाकार उस प्रमण्डल के अन्तर्गत सभी जिलों के पैक्सों के अंकेक्षण हेतु अधिकृत होंगे।

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अपने स्थापनान्तर्गत अंकेक्षण पदाधिकारियों के पदबल की कमी के कारण अपने प्रभार के जिलों के अंकेक्षण पदाधिकारियों से पैक्सों / व्यापार मंडलों का अंकेक्षण करा सकेंगे एवं यह उनका दायित्व होगा कि किसी भी परिस्थिति में अंकेक्षण पदाधिकारियों / सनदी लेखाकारों की कमी के कारण अंकेक्षण कार्य बाधित नहीं हो।

विश्वासभाजन

10/11/16

(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 9372 / पटना, दिनांक 10.11.16

प्रतिलिपि :– सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ / सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० / विभागयी पैनल के सभी सनदी लेखाकार / राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 9372 /पटना, दिनांक 10.11.16

प्रतिलिपि :– 1. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि आदेश में उल्लिखित निदेशों का अनुश्रवण करेंगे तथा नियमित अंतराल पर वस्तुस्थिति से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अवगत करायेंगे।

2. प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को E-mail द्वारा संसूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 9372 /पटना, दिनांक 10.11.16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।